वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] **भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 सितम्बर, 2018-भाद्र 16, शके 1940**

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

CHANGE OF NAME

I, Smt. USHA TIWARI BEDIYA have changed my name from Smt. USHA TIWARI BEDIYA to Smt. USHA TIWARI by an affidavit sworn before the Notary Public Khilchipur on 27-08-2018. Henceforth I shall be known as Smt. USHA TIWARI for all the purposes.

Old Name:
(USHA TIWARI BEDIYA)

New Name :
(USHA TIWARI)
Civil Judge, Class-I, Civil Court
Khilchipur, Rajgarh (M.P.).

(443-B.)

नाम परिवर्तन

यहकि मैं, राजेश्री मोदी, वार्ड क्रमांक 11, भितरवार की निवासी हूँ और शादी के बाद से मैं वार्ड क्रमांक 11, भितरवार में रह रही हूँ. विवाह से पहले मेरा नाम राजेश्री साहू पुत्री अयोध्याप्रसाद था. विवाह उपरांत मेरा नाम श्रीमती राजेश्री मोदी पत्नी चियर्स मोदी हो गया है. यह कि मुझे श्रीमती राजेश्री मोदी पत्नी चियर्स मोदी के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(राजेश्री साहू)
पुत्री अयोध्याप्रसाद साहू,
निवासी-डबरा, जिला ग्वालियर.

नया नाम :
(राजेश्री मोदी)
पत्नी श्री चियर्स मोदी,
निवासी वार्ड क्रमांक 11, भितरवार.

(444-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं, रेखा मुदगल पत्नि श्री संजय मुदगल, निवासी दुर्गानगर चन्देरी, जिला अशोकनगर (मध्यप्रदेश) में सह परिवार, निवास करती हूँ. विवाह के पूर्व मेरा नाम रेखा पाण्डेय पुत्री श्री शिवनारायण पाण्डेय रहा है

तथा उक्त नाम से मेरी अंकसूचियां आदि हैं. विवाह के पश्चात् मैंने अपना उपनाम परिवर्तन कर रेखा मुदगल अपना लिया है तथा विवाह के पश्चात् मेरे नाम से जो भी शासकीय दस्तावेज तथा वोटर आई.डी., राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाते विवाह के पश्चात् दी गई परीक्षा की अंकसूची आदि बने हुये हैं. उक्त दस्तावेजों में मेरा नाम रेखा मुदगल अंकित है तथा विज्ञप्ति के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भविष्य में रेखा मुदगल के उपनाम से ही जाना-पहचाना जावे तथा पत्राचार में भी मेरे उक्त नाम रेखा मुदगल का उपयोग किया जावे.

पुराना नाम :
(रेखा पाण्डेय)
पुत्री श्री शिवनारायण पाण्डेय,
निवासी शिवपुरी (म.प्र.).

नया नाम :
(रेखा मुदगल)
पत्नि श्री संजय मुदगल,
निवासी दुर्गानगर, चन्देरी,
जिला अशोकनगर (म.प्र.).

(445-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम मीनू बंडी पिता शरद कुमार बंडी था. दिनांक 21-11-2000 को मेरा विवाह श्री प्रशांत जैन के साथ हुआ, तब से मैंने अपना नाम बदलकर नम्रता जैन पति प्रशांत जैन कर लिया है. अब वर्तमान व भविष्य में मैं, नम्रता जैन पति प्रशांत जैन के नाम से ही जानी व पहचानी जाऊँगी.

पुराना नाम :
(मीनू बंडी)
पिता शरद कुमार बंडी.

नया नाम :
(नम्रता जैन)
पति प्रशांत जैन,
13/1, नार्थ राजमोहल्ला, इन्दौर (म.प्र.).

(446-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, जन्म प्रमाण-पत्र में मेरा नाम कृतिक भगत दर्ज है तथा मेरे शिक्षा संबंधी रिकार्ड एवं आधार कार्ड में मेरा नाम कृतिक कनन भगत पुत्र कमल भगत है. यह कि कृतिक भगत व कृतिक कनन भगत दोनों ही नाम मेरे होकर एक ही व्यक्ति हूँ. मैं, शपथपूर्वक सत्यापित करता हूँ कि शपथपत्र में वर्णित समस्त जानकारी सत्य व सही है.

पुराना नाम :
(कृतिक भगत)

नया नाम :
(कृतिक कनन भगत)
पुत्र कमल भगत,
निवासी-ई-41, तानसेन नगर,
ग्वालियर (म.प्र.).

(447-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरी पुत्री कु. पहल गर्ग के स्कूल रिकार्ड में मेरा नाम रानी अंकित हो गया है, जबकि यह नाम घर पर सामान्य बोलचाल का नाम है. मेरा नाम सभी शासकीय कागजातों पर भी पूजा गर्ग नाम ही है व भविष्य में भी मुझे पूजा गर्ग नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(रानी गर्ग)

नया नाम :
(पूजा गर्ग)
पत्नी श्री विनय गर्ग,
पता-98/1, तिरूपति नगर, एरोड्रम रोड,
इन्दौर (म.प्र.).

(448-बी.)

CHANGE OF NAME

I, NAVAJ UDDIN S/o NAIM UDDIN, DOB 17-08-1991, Resident of 27, Vikram Road, Barnagar, Dist. Ujjain (M.P.) hereby declare that I, shall be known as Nawazuddin Ahmed Rather than my previous name Navaj Uddin.

Old Name:
(NAVAJ UDDIN)

New Name :
(NAWAZUDDIN AHMED)
27, Vikram Road, Barnagar,
District Ujjain (M.P.).

(449-B.)

नाम परिवर्तन

मैं, फौजिया परवीन पिता स्व. अब्दुल मजीद, पता 1010, नया मोहल्ला, बंगाली मस्जिद के पास, जबलपुर शपथपूर्वक कथन करती हूँ कि मेरा नाम फौजिया परवीन उर्फ फौजिया अंजुम दोनों मेरे ही नाम हैं. मेरे सभी दस्तावेजों में फौजिया परवीन दर्ज है. लेकिन मेरे पिता के कार्यालय टेलीग्राफ के दस्तावेजों में फौजिया अंजुम दर्ज हो गया है चूंकि फौजिया अंजुम उर्फ फौजिया परवीन दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं. मेरे पिता के सर्विस रिकार्ड में यही नाम दर्ज किया जाए एवं इसी नाम से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम :
(फौजिया अंजुम)

नया नाम :
(फौजिया अंजुम उर्फ फौजिया परवीन)
पता-1010, नया मोहल्ला, बंगाली मस्जिद के पास,
जबलपुर (म.प्र.).

(450-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री कुमारी मीनल जैन है. जिसने कक्षा 10वीं की परीक्षा वर्ष 2017 में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पास की है. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकसूची में मेरा नाम भूलवश नरेन्द्र जैन लिख गया है जबकि मेरे सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में मेरा नाम नरेन्द्र कुमार जैन अंकित है एवं मैं नरेन्द्र कुमार जैन के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ और भविष्य में भी मेरा नाम नरेन्द्र कुमार जैन ही है. अत: मेरी पुत्री कुमारी मीनल जैन की अंकसूची में मेरा नाम नरेन्द्र जैन के स्थान पर नरेन्द्र कुमार जैन किया जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :
(नरेन्द्र जैन,)

नया नाम :
(नरेन्द्र कुमार जैन)
मैना वाली गली, दाल बाजार,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(451-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र जितेन्द्र सिंह गुर्जर की कक्षा 10वीं की अंकसूची में मेरा ममता लिखा गया है. जबकि मेरा सही नाम मोहन बाई गुर्जर है. अत: मेरे बेटे के समस्त दस्तावेजों व अंकसूचियों में मेरा सही नाम मोहन बाई गुर्जर ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :
(ममता)
(MAMTA)

नया नाम :
(मोहन बाई गुर्जर)
(MOHAN BAI GURJAR)
म. नं. 36, वार्ड नं. 4, पिलवास कॉलोनी,
नलखेड़ा, जिला आगर मालवा (म.प्र.).

(453-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम निर्मला सिंह है एवं घर का नाम नीलू सिंह है किन्तु मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा घरेलू नाम नीलू सिंह लिखा गया है. अत: मेरे जिस भी दस्तावेज में मेरा नाम नीलू सिंह लिखा गया है. उन सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम निर्मला सिंह ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :
(नीलू सिंह)

(NEELU SINGH)

नया नाम :
(निर्मला सिंह)
पति राकेश सिंह,
(NIRMALA SINGH)
W/o Rakesh singh,
15, प्रकाश नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(454-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अंजु है, मेरे सभी दस्तावेजों में भी मेरा नाम अंजु ही लिखा हुआ है, किन्तु मेरे पति के सर्विस रिकॉर्ड में मेरा घर का नाम अंजना लिखा गया था. अत: मेरे पति के सर्विस रिकॉर्ड में भी मेरा नाम अंजु ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :
(अंजना)
पत्नी श्री श्याम कुमार जी.

नया नाम :
(अंजु)
पत्नी श्री श्याम कुमार जी,
हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,
बीना (म.प्र.).

(455-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम घीसालाल यादव पुत्र श्री गोविन्दराम यादव है किन्तु मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम घीसालाल पुत्र गोविन्दराम ही लिखा हुआ है, जो कि उपनाम रहित है. अत: मेरे सर्विस रिकार्ड में भी मेरा पुरा नाम उपनाम सहित घीसालाल यादव ही लिखा जावे.

पुराना नाम :

(घीसालाल)

पुत्र गोविन्दराम.

नया नाम :

(घीसालाल यादव)

पुत्र गोविन्दराम यादव,
म. नं. 57/5, न्यू देवास रोड,
इन्दौर (म.प्र.).

(456-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण की सूचना ये मेरा नाम कक्षा दसवीं की अंकसूची में VIJAY SINGH CHAUHAN अंकित हो गया है. जबकि अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम VIJAY SINGH CHOUHAN है, अत: मुझे जाना एवं पहचाना जावें.

पुराना नाम :

(VIJAY SINGH CHAUHAN)

नया नाम :

(VIJAY SINGH CHOUHAN)

म. नं. 26 विनित कुंज नियर सी आई मॉल,
अकबरपुर कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.).

(457-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री कुमारी रखमिता जीशान है जिसने कक्षा 10वीं की परीक्षा वर्ष 2017 में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पास की है. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकसूची में मेरा नाम भूलवश जेबा परवीन लिख गया है जबकि मेरे सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में मेरा नाम नाहिद परवीन अंकित है एवं मैं, नाहिद परवीन के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ और भविष्य में भी मेरा नाम नाहिद परवीन ही है. अत: मेरी पुत्री कुमारी रखमिता जीशान की अंकसूची में मेरा नाम जेबा परवीन के स्थान पर नाहिद परवीन किया जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(जेबा परवीन)

नया नाम :

(नाहिद परवीन)

दानाओली, फौजदारों का मौहल्ला,
नया सराफा, लश्कर, ग्वालियर.

(463-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा घर का नाम व शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों में नाम अनुराग भारती है. मेरा वर्तमान व्यवसाय सिंगिंग शो करना है, वहाँ मुझे अधिराज सिंह वालिया के नाम से जाना-पहचाना जाता है. अब मैंने अपना नाम अनुराग भारती से परिवर्तन कर अधिराज सिंह वालिया कर लिया है. अत: आगे समस्त सरकारी, अर्द्धसरकारी, गैर सरकारी पत्र व्यवहार व निजी बोलचाल में मैं इसी परिवर्तित नाम अधिराज सिंह वालिया से संबोधित एवं जाना, पहचाना जाऊँगा.

अत: आगे समस्त पत्र व्यवहार एवं बोलचाल में मुझे इसी नाम से संबोधित किया जाये.

पुराना नाम :

(अनुराग भारती)

पिता श्री रामप्रसाद भारती,
निवासी-म. नं. 67, सन्त विनोवा भावे,
वार्ड क्र.-12 श्योपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.).
हाल-थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.).

नया नाम :

(अधिराज सिंह वालिया)

(462-बी.)

नाम परिवर्तन

यह कि मुझ शपथकर्ता की पुत्री प्राची जैन के दस्तावेजों में मेरा नाम राजीव जैन अंकित है तथा मुझ शपथकर्ता के अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम राजीव कुमार जैन अंकित है. यह कि मुझ शपथकर्ता के पुत्री के दस्तावेजों में अंकित नाम राजीव जैन के स्थान पर राजीव कुमार जैन नाम अंकित करने की कृपा करें.

पुराना नाम :
(राजीव जैन)

नया नाम :
(राजीव कुमार जैन)
जे-78, गांधीनगर, ग्वालियर.

(460-बी.)

नाम परिवर्तन

यह कि मुझ शपथकर्ता के पुत्र निहाल जैन के दस्तावेजों में मेरा नाम राजीव जैन अंकित है तथा मुझ शपथकर्ता के अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम राजीव कुमार जैन अंकित है. यह कि मुझ शपथकर्ता के पुत्र के दस्तावेजों में अंकित नाम राजीव जैन के स्थान पर राजीव कुमार जैन नाम अंकित करने की कृपा करें.

पुराना नाम :
(राजीव जैन)

नया नाम :
(राजीव कुमार जैन)
जे-78, गांधीनगर, ग्वालियर.

(461-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स राजलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन स्थित एम. आई. जी.-59, ऐडा कॉलोनी, राधौगढ़, जिला गुना जिसका पंजीयन क्रमांक 02/40/04/00120/06, दिनांक 20-12-2006 है. जिसमें दिनांक 31-08-2018 को भागीदारी श्री सूर्यप्रकाश रघुवंशी पुत्र श्री मेहरवार सिंह रघुवंशी, निवासी राधा कॉलोनी, जिला गुना अपनी स्वेच्छा से फर्म में पृथक् हो गए हैं एवं इसी दिनांक 31-08-2018 को श्री सार्थक रघुवंशी पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश रघुवंशी, निवासी न्यू सिटी कॉलोनी, गुना एवं वेदांत रघुवंशी पुत्र श्री सूर्यप्रकाश रघुवंशी, निवासी राधा कॉलोनी, गुना फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं. आम-जन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म-मैसर्स राजलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन,
चन्द्रप्रकाश रघुवंशी,
(भागीदार).

(452-बी.)

PUBLIC NOTICE

IDEAL Global Social and Welfare Organization (IGSWO) registered under M. P. Societies Registration Act, 1973 with Registration Number MP/12519/03, Dated 18/07/03, NITI Aayog Unique ID MP/2009/0001272, after Identifying, National and Regional needs, and keeping clarity on activities is focusing on core Initiatives i.e. EDUCATIONAL and SOCIAL activities for which organization is having FCRA approval from Ministry of Home Affairs, Govt. of India and is executing related activities, through established separate institutions under it, as mentioned below Since 01-04-2016:-

• [IDEAL Global Social and Welfare Organization (Academy)] [Short name: IGSWO Academy]

(As OTHER EDUCATIONAL INSTITUTION) It is solely for EDUCATIONAL purpose, which is executing not for purpose of profit, focusing Literacy, Knowledge, Skills & Research, developing as per 10(23c)(vi) Income Tax Act guidelines.

• [IDEAL Global Social and Welfare Organization (Foundation)] [Short name: IGSWO Foundation]

(As OTHER SOCIAL INSTITUTION) It is solely for SOCIAL purpose, executing not for purpose of profit, focusing Environment, Community, Culture & Disaster, developing as per 10(23c)(iv) Income Tax Act guidelines.

IDEAL—Global Social and Welfare Organization,
ASHISH DIWAN,
(Chief Functionary).

(458-B.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक सार्वजनिक, लोक न्यास, बुरहानपुर

प्र.क्र. बी/113/2017-18.

[नियम पाँच-(1) देखिए]

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत)

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि आवेदक श्री सार्वजनिक हनुमान मंदिर बैरीमेदान ट्रस्ट बुरहानपुर द्वारा अध्यक्ष श्री आशीष शर्मा, निवासी जयस्तंभ, बुरहानपुर, तहसील एवं जिला बुरहानपुर का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विर्निदिष्ट सम्पत्ति के लिये "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 06-08-2018 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता सम्पत्ति का विवरण)

1. वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष		श्री आशीष पिता जगदीश प्रसाद शर्मा, निवासी जयस्तंभ चौराहा, बुरहानपुर, श्री सार्वजनिक हनुमान मंदिर, बैरीमेदान ट्रस्ट, बुरहानपुर.
2. चल संपत्ति बैंक ऑफ इंडिया में		59283/-
3. अचल सम्पत्ति	:	शहर बुरहानपुर के ब्लॉक नम्बर 18 प्लाट नंबर 79 रकवा 3155 वर्गफिट.

प्रगति वर्मा,
पंजीयक.

(1022)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उपायुक्त एवं उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार

धार, दिनांक 20 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/2510.—आदिवासी ईंट-भट्टा सहकारी संस्था मर्या., ठनगांव जिसका पंजीयन क्रमांक 993, दिनांक 10 सितम्बर, 1996 है. संस्था विगत कई वर्षो से निष्क्रिय/अकार्यशील होने, संस्था को चलाने में सदस्यों की रुचि न होना, संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु सदस्यता सूची उपलब्ध न कराना, निर्वाचन हेतु संस्था के पास राशि न होना, रेकार्ड तातारिख संधारित न होना तथा संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त की लिखित सहमति आवेदन पूर्ण वैधानिक आधार होने से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला धार अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल आदेश क्रमांक एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुये आदिवासी ईंट-भट्टा सहकारी संस्था मर्या., ठनगांव को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एस. के. व्यास, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एस. के. व्यास, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1023)

धार, दिनांक 20 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/2509.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चंदावड़ जिसका पंजीयन क्रमांक 596, दिनांक 04 अगस्त, 1994 है. संस्था विगत कई माह से निष्क्रिय/अकार्यशील होने, संस्था को चलाने में सदस्यों की रुचि न होना, संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु सदस्यता सूची उपलब्ध न कराना, निर्वाचन हेतु संस्था के पास राशि न होना, रेकार्ड तातारिख संधारित न होना तथा संस्था के 34 सदस्यों द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु संयुक्त हस्ताक्षरित आवेदन प्रभारी अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त होने से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता हैं.

अत: मैं, अम्बरीष वैद्य, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला धार अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल आदेश क्रमांक एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चंदावड़ को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा-70(1) के अंतर्गत श्री प्रदीप पाठक, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री प्रदीप पाठक, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

अम्बरीष वैद्य,
(1024) उप पंजीयक.

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./518, दिनांक 18 मार्च, 2013 के द्वारा सार्थक कुक्कुट पालन सहकारी समिति मर्या., गेरूआर पं.क्र. 2003/29-03-2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री यू. के. लेडवानी, अंकेक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के लेनदारी-देनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता रीवा से कराएं जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5-2-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये सार्थक कुक्कुट पालन सहकारी समिति मर्या., गेरूआर पं.क्र.2003/29-03-2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

शिवम मिश्रा,
(1025) उप-पंजीयक.

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन

रायसेन, दिनांक 21 जून, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16(2) एवं (3) तथा नियम-11]

क्र./परि./2018/882.—जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., रायसेन के पत्र क्रमांक/क्षेत्र/2017-18/431, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., डूमर के संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 10 दिसम्बर, 2017 द्वारा पारित संस्था के पुर्नगठन प्रस्ताव पर विचारोपरांत पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश को प्रेषित की गई जानकारी के आधार पर पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश का समाधान हो गया है कि लोकहित में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., डूमर का पुर्नगठन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-16 (1) एवं 16 (2) सी के अंतर्गत सदस्यों के हित में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., डूमर (जिसे आगे केवल प्रभावित सोसायटी कहा गया है.) का पुर्नगठन अधिनियम की धारा-16(2) सी के अन्तर्गत स्वयं को दो सोसायटियों में क्रमश: प्राथमिक साख सहकारी संस्था मर्या., डूमर एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी मर्या., घाटपिपरिया (जिन्हे आगे क्रमश: परिणामी सोसायटी-1 एवं परिणामी सोसायटी-2 कहा गया है) के रूप में विभाजित कर लें. इस अध्यापेक्षा के अंतर्गत अध्यापेक्षा प्राप्ति पश्चात् निर्देशानुसार कार्यवाही सम्पन्न करें.

प्रभावित सोसायटी के कार्यक्षेत्र में डूमर, मुआर, सतारावन, गोपालपुर, घाटपिपरिया, खण्डराज, सोजनी, ढावला, प्रोहित पिपरिया, पांजरा, विजय सिंह एवं बांसखेड़ा ग्राम है एवं कुल सदस्यों की सूची परिशिष्ट-1 पर है तथा संस्था की 31 मार्च, 2017 पर वित्तीय लेन-देन पत्रक परिशिष्ट-2 पर है.

प्रभावित सोसायटी का पुर्नगठन निम्नानुसार प्रस्तावित है:-

1. प्रभावित सोसायटी के कार्यक्षेत्र में डूमर, मुआर, सतरावन, गोपालपुर, घाटपिपरिया, खण्डराज, सोजनी, ढावला, प्रोहित पिपरिया, पांजरा, विजयसिंह एवं बांसखेड़ा ग्राम सम्मिलित हैं. प्रभावित संस्था के पुर्नगठन के पश्चात् परिणामी सोसायटी-1 डूमर में पुर्नगठन के उपरांत डूमर, मुआर, सतरावन, गोपालपुर, पांजरा विजय सिंह एवं बासखेड़ा ग्राम रहेंगे तथा परिणामी सोसायटी-2 घाटपिपरिया में घाटपिपरिया, खण्डराज, सोजनी, ढावला, प्रोहित पिपरिया शामिल रहेंगे.
2. परिणामी सोसायटी-1 एवं 2 के कार्यक्षेत्र के ग्रामों के आधार पर विभाजित सदस्यता सूची क्रमशः परिणामी सोसायटी-1 डूमर के लिये परिशिष्ट-3 पर तथा परिणामी सोसायटी-2 घाटपिपरिया के लिये सदस्यता सूची परिशिष्ट-4 पर.
3. प्रभावित सोसायटियों की अंशपूँजी, सदस्यों पर शेष ऋण एवं ब्याज तथा सदस्यों की जमा अमानतों की सूची क्रमशः डूमर संस्था हेतु परिशिष्ट-5 एवं घाटपिपरिया संस्था हेतु परिशिष्ट-6 के अनुसार विभाजित होगी.
4. संस्था के रिजर्व फण्ड एवं अन्य निधियां परिणामी सोसायटी की अंशपूँजी के अनुपात में होगी.
5. डूबंत संदिग्ध निधि एवं ब्याज प्रावधान का निर्धारण शेष कालातीत ऋण एवं ब्याज के अनुपात में होगा.
6. विविध लेनदारी एवं देनदारी का विभाजन वास्तविक लेनदारी-देनदारी के आधार पर होगा, जो परिणामी सोसायटी के द्वारा निपटान किया जावेगा.
7. विभिन्न न्यायालयों में चल रहे प्रकरण परिणामी सोसायटियों के सदस्यता के वास्तविक आधार पर स्थानांतरित होंगे परन्तु सदस्यों के प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य प्रकरण प्रभावित होने वाली परिणामी संस्था के आधार पर प्रभावित परिणामी सोसायटी द्वारा निपटान किये जायेंगे तथा उन पर होने वाली लेनदारी एवं देनदारी का विभाजन परिणामी सोसायटी की अंशपूंजी के परिणाम में किया जावेगा.
8. संस्था की वर्तमान अचल संपत्तियों का मूल्यांकन कराकर, मूल्यांकित राशि का 40 प्रतिशत मूल्य परिणामी सोसायटी-01 के द्वारा परिणामी सोसायटी-02 को 01 वर्ष के अंदर देय होगा.

इस अध्यापेक्षा के माध्यम से प्रभावित सोसायटी से अपेक्षा की जाती है कि वे अध्यापेक्षा प्राप्ति पश्चात् 21 दिन की सूचना देकर विशेष साधारण सम्मिलन बुलाकर इस विशेष साधारण सम्मिलन में इस अध्यापेक्षा को प्रस्तुत कर उस पर निर्णय लें, यह भी कि इस अध्यापेक्षा प्राप्ति पश्चात् संस्था के नोटिस बोर्ड पर इस अध्यापेक्षा की प्रति प्रकाशित कर पंचनामा अभिलेख में रखा जाये और स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रभावित संस्था का पुर्नगठन विभाजन की सूचना प्रकाशित कर समस्त सदस्यों तथा समस्त लेनदारों एवं देनदारों से आपत्तियाँ आमंत्रित करें, विभाजन के उपरांत बनने वाली परिणामी सोसायटियों के नाम एवं कार्यक्षेत्र के ग्रामों पर प्रकाशित कर नियत आमसभा के 04 दिन पूर्व तक समस्त सदस्यों लेनदारों/देनदारों से आपत्तियां आमंत्रित की जावे तथा प्राप्त आपत्तियों को व्यापक सम्मिलन में रखा जाकर उन पर निर्णय लिया जावे.

प्रस्तावित सोसायटी के कार्यक्षेत्र के समस्त ग्रामों में इस पुर्नगठन योजना की सूचना डोंडी पिटवाकर दी जावे. जिसका पंचनामा तैयार कर अभिलेख में रखा जावे. यह भी कि प्रभावित संस्था ऐसे व्यक्ति, जिनके हितों पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने की संभावना हो उन्हें भी इसकी सूचना देकर आमसभा की नियत तिथि के पूर्व उनकी कोई आपत्ति हो तो विचार किया जावे. यह भी कि सोसायटी के पुर्नगठन की धारा-16 एवं नियम-11 के सभी प्रावधान यथावत् प्रभावी रहेंगे. व्यापक सम्मेलन में दो तिहाई बहुमत से निर्णय के उपरांत परिणामी सोसायटियों के पंजीयन हेतु प्रभावित सदस्यता सूची के 04-04 सेट प्रस्तुत किये जावेंगे. यह कि यदि नियत अवधि में अध्यापेक्षा अनुसार कार्यवाही नहीं की गई अथवा की गई कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया तो प्रकरण में अधोहस्ताक्षरकर्ता नियमानुसार निर्णय लेगा.

इस अध्यापेक्षा के माध्यम से प्रभावित सोसायटी तथा उसके सदस्यों के लेनदारों-देनदारों को अवसर प्रदान किया जाकर कि वे उक्त अध्यापेक्षा पर कोई भी आपत्ति हो तो सीधे प्रभावित सोसायटी या इस कार्यलय को अध्यापेक्षा जारी होने के एक माह के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं.

प्रभावित सोसायटी के विशेष साधारण सम्मिलन द्वारा पारित निर्णय एवं लेनदारी-देनदारी और अन्य संबंधित द्वारा प्रस्तुत समस्त आपत्तियों के विचार उपरांत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा अंतिम निर्णय लिया जायेगा.

मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन यह अध्यापेक्षा जारी करता हूँ.

यह अध्यपेक्षा आज दिनांक 21 जून, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

के. व्ही. सोरते,
उप पंजीयक.

(1026)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर

कारण बताओ सूचना पत्र

[म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रशासक

महाकाली गृह निर्माण सहकारी समिति,

मर्या., जबलपुर, पं. क्र.203

कार्यालयीन रिकार्ड के आधार पर मेरे द्वारा आपकी संस्था के संबंध में राय बनाई गई है कि-

(1) समिति ने कार्य करना बंद कर दिया है, क्योंकि:-

(अ) संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जा रहे हैं.

(ब) संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरुप कार्य व्यवसाय/उत्पादन नहीं कर रही है.

(स) संस्था द्वारा सदस्यता वृद्धि नहीं की गई है.

(द) संस्था द्वारा विगत कई वर्षों से अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

(2) समिति ने सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है:-

(अ) संस्था ने उपविधि में वर्णित प्रावधानों अनुसार संचालक मंडल की बैठकें आयोजित न कर अधिनियम की धारा 49(9) (ए) अनुसार कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(ब) संस्था की उपविधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 माह तक अपने वित्तीय पत्रक तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए.

(स) अधिनियम की धारा 49(1) अनुसार वार्षिक आमसभा का सूचना-पत्र कार्यालय को नहीं भेजा तथा धारा 49(9) (ए) अंतर्गत 30 दिवस के भीतर आमसभा का कार्यवृत्त कार्यालय को नही भेजा.

(द) अधिनियम की धारा 56 अनुसार संस्था ने उपविधि के प्रावधानानुसार विवरणियां निर्धारित समयावधि में कार्यालय को प्रेषित नहीं की.

(इ) सहकारिता नियम 1962 के नियम 23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात सूची का प्रकाशन नहीं किया.

(फ) सहकारिता नियम 1962 के नियम 51 के अंतर्गत संस्था ने पक्के चिट्ठे का प्रकाशन कर कार्यालय को अवगत नहीं कराया.

उपरोक्त आधारों पर स्पष्ट है कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है व उसके द्वारा सहकारिता अधिनियम/नियम/उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और वह अपने गठन के उद्येश्यों एवं सदस्यों के हित के संवर्धन में असफल हो गई है.

अत: मैं, जी. पी. प्रजापति, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जबलपुर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010/पन्द्रह-1सी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त कर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए समिति को अवसर प्रदान करता हूँ कि उपरोक्त के संबंध में मय साक्ष्यों के दिनांक 28 अगस्त, 2018 तक उत्तर प्रस्तुत करें. उत्तर प्राप्त न होने पर अथवा प्राप्त उत्तर से सहमत न होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(1027)

कारण बताओ सूचना पत्र

[म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रशासक

प्रगतिशील गृह निर्माण सहकारी समिति,

मर्या., जबलपुर, पं. क्र.87

कार्यालयीन रिकार्ड के आधार पर मेरे द्वारा आपकी संस्था के संबंध में राय बनाई गई है कि-

(1) समिति ने कार्य करना बंद कर दिया है, क्योंकि:-

(अ) संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जा रहे हैं.

(ब) संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य व्यवसाय/उत्पादन नहीं कर रही है.

(स) संस्था द्वारा सदस्यता वृद्धि नहीं की गई है.

(द) संस्था द्वारा विगत कई वर्षों से अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

(2) समिति ने सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है:-

(अ) संस्था ने उपविधि में वर्णित प्रावधानों अनुसार संचालक मंडल की बैठकें आयोजित न कर अधिनियम की धारा 49(9) (ए) अनुसार कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(ब) संस्था की उपविधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 माह तक अपने वित्तीय पत्रक तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए.

(स) अधिनियम की धारा 49(1) अनुसार वार्षिक आमसभा का सूचना-पत्र कार्यालय को नहीं भेजा तथा धारा 49(9) (ए) अंतर्गत 30 दिवस के भीतर आमसभा का कार्यवृत्त कार्यालय को नही भेजा.

(द) अधिनियम की धारा 56 अनुसार संस्था ने उपविधि के प्रावधानानुसार विवरणियां निर्धारित समयावधि में कार्यालय को प्रेषित नहीं की.

(इ) सहकारिता नियम 1962 के नियम 23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात सूची का प्रकाशन नहीं किया.

(फ) सहकारिता नियम 1962 के नियम 51 के अंतर्गत संस्था ने पक्के चिट्ठे का प्रकाशन कर कार्यालय को अवगत नहीं कराया.

उपरोक्त आधारों पर स्पष्ट है कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है व उसके द्वारा सहकारिता अधिनियम/नियम/उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और वह अपने गठन के उद्येश्यों एवं सदस्यों के हित के संवर्धन में असफल हो गई है.

अत: मैं, जी. पी. प्रजापति, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जबलपुर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010/पन्द्रह-1सी भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त कर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए समिति को अवसर प्रदान करता हूँ कि उपरोक्त के संबंध में मय साक्ष्यों के दिनांक 28 अगस्त, 2018 तक उत्तर प्रस्तुत करें. उत्तर प्राप्त न होने पर अथवा प्राप्त उत्तर से सहमत न होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(1028)

कारण बताओ सूचना पत्र

[म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रशासक

प्रभात गृह निर्माण सहकारी समिति,

मर्या., जबलपुर, पं. क्र.32

कार्यालयीन रिकार्ड के आधार पर मेरे द्वारा आपकी संस्था के संबंध में राय बनाई गई है कि-

(1) समिति ने कार्य करना बंद कर दिया है, क्योंकि:-

(अ) संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जा रहे हैं.

(ब) संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य व्यवसाय/उत्पादन नहीं कर रही है.

(स) संस्था द्वारा सदस्यता वृद्धि नहीं की गई है.

(द) संस्था द्वारा विगत कई वर्षों से अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

(2) समिति ने सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है:-

(अ) संस्था ने उपविधि में वर्णित प्रावधानों अनुसार संचालक मंडल की बैठकें आयोजित न कर अधिनियम की धारा 49(9) (ए) अनुसार कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(ब) संस्था की उपविधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 माह तक अपने वित्तीय पत्रक तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए.

(स) अधिनियम की धारा 49(1) अनुसार वार्षिक आमसभा का सूचना-पत्र कार्यालय को नहीं भेजा तथा धारा 49(9) (ए) अंतर्गत 30 दिवस के भीतर आमसभा का कार्यवृत्त कार्यालय को नही भेजा.

(द) अधिनियम की धारा 56 अनुसार संस्था ने उपविधि के प्रावधानानुसार विवरणियां निर्धारित समयावधि में कार्यालय को प्रेषित नहीं की.

(इ) सहकारिता नियम 1962 के नियम 23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात सूची का प्रकाशन नहीं किया.

(फ) सहकारिता नियम 1962 के नियम 51 के अंतर्गत संस्था ने पक्के चिट्ठे का प्रकाशन कर कार्यालय को अवगत नहीं कराया.

उपरोक्त आधारों पर स्पष्ट है कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है व उसके द्वारा सहकारिता अधिनियम/नियम/उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और वह अपने गठन के उद्येश्यों एवं सदस्यों के हित के संवर्धन में असफल हो गई है.

अत: मैं, जी. पी. प्रजापति, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जबलपुर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010/पन्द्रह-1सी भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त कर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए समिति को अवसर प्रदान करता हूँ कि उपरोक्त के संबंध में मय साक्ष्यों के दिनांक 28 अगस्त, 2018 तक उत्तर प्रस्तुत करें. उत्तर प्राप्त न होने पर अथवा प्राप्त उत्तर से सहमत न होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(1029)

कारण बताओ सूचना पत्र

[म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रशासक

भैरो बाबा गृह निर्माण सहकारी समिति,

मर्या., जबलपुर, पं. क्र.81

कार्यालयीन रिकार्ड के आधार पर मेरे द्वारा आपकी संस्था के संबंध में राय बनाई गई है कि-

(1) समिति ने कार्य करना बंद कर दिया है, क्योंकि:-

(अ) संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जा रहे हैं.

(ब) संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य व्यवसाय/उत्पादन नहीं कर रही है.

(स) संस्था द्वारा सदस्यता वृद्धि नहीं की गई है.

(द) संस्था द्वारा विगत कई वर्षों से अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

(2) समिति ने सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है:-

(अ) संस्था ने उपविधि में वर्णित प्रावधानों अनुसार संचालक मंडल की बैठकें आयोजित न कर अधिनियम की धारा 49(9) (ए) अनुसार कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(ब) संस्था की उपविधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 माह तक अपने वित्तीय पत्रक तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए.

(स) अधिनियम की धारा 49(1) अनुसार वार्षिक आमसभा का सूचना-पत्र कार्यालय को नहीं भेजा तथा धारा 49(9) (ए) अंतर्गत 30 दिवस के भीतर आमसभा का कार्यवृत्त कार्यालय को नही भेजा.

(द) अधिनियम की धारा 56 अनुसार संस्था ने उपविधि के प्रावधानानुसार विवरणियां निर्धारित समयावधि में कार्यालय को प्रेषित नहीं की.

(इ) सहकारिता नियम 1962 के नियम 23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात सूची का प्रकाशन नहीं किया.

(फ) सहकारिता नियम 1962 के नियम 51 के अंतर्गत संस्था ने पक्के चिट्ठे का प्रकाशन कर कार्यालय को अवगत नहीं कराया.

उपरोक्त आधारों पर स्पष्ट है कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है व उसके द्वारा सहकारिता अधिनियम/नियम/उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और वह अपने गठन के उद्येश्यों एवं सदस्यों के हित के संवर्धन में असफल हो गई है.

अत: मैं, जी. पी. प्रजापति, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जबलपुर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010/पन्द्रह-1सी भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त कर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए समिति को अवसर प्रदान करता हूँ कि उपरोक्त के संबंध में मय साक्ष्यों के दिनांक 28 अगस्त, 2018 तक उत्तर प्रस्तुत करें. उत्तर प्राप्त न होने पर अथवा प्राप्त उत्तर से सहमत न होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

जी.पी.प्रजापति,

(1030) उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बालाघाट

बालाघाट, दिनांक 23 अगस्त, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72(2) के अंतर्गत]

क्र./उ.प.बा./परि/2018/1031.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उ.प.बा./परि/2013/1200 बालाघाट, दिनांक 26 सितम्बर, 2013 के द्वारा कुम्हारीकला औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, लाँजी पंजीयन क्रमांक 668, दिनांक 27 सितम्बर, 2005 विकासखंड लाँजी, जिला बालाघाट जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, लाँजी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बालाघाट के माध्यम से कराया गया.सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है. ऐसी स्थिति में कुम्हारीकला औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, लाँजी पंजीयन क्रमांक 668, दिनांक 27 सितम्बर, 2005 विकासखंड लाँजी, जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि कुम्हारीकला औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, लाँजी पंजीयन क्रमांक 668, दिनांक 27 सितम्बर, 2005 विकासखंड लाँजी, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है.

अत: मैं, आलोक कुमार दुबे , प्रभारी उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाऐं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुम्हारीकला औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, लाँजी पंजीयन क्रमांक 668, दिनांक 27 सितम्बर, 2005 विकासखंड लाँजी, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1031)

बालाघाट, दिनांक 23 अगस्त, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72(2) के अंतर्गत]

क्र./उ.प.बा./परि/2018/1032.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उ.प.बा./परि/2015/36 बालाघाट, दिनांक 09 जनवरी, 2015 के द्वारा जीवन आधार बहुउददे्शीयसहकारी समिति मयादित, लाँजी पंजीयन क्रमांक 748, दिनांक 13 जनवरी, 2011 विकासखंड लाँजी, जिला बालाघाट जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापान में लाया जाकर धारा 70 के अतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, लाँजी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बालाघाट के माध्यम से कराया गया.सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है. ऐसी स्थिति मे जीवन आधार बहुउददे्शीयसहकारी समिति मयादित, लाँजी पंजीयन क्रमांक 748, दिनांक 13 जनवरी, 2011 विकासखंड लाँजी, जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि जीवन आधार बहुउददे्शीयसहकारी समिति मयादित, लाँजी पंजीयन क्रमांक 748, दिनांक 13 जनवरी, 2011 विकासखंड लाँजी, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है.

अत: मैं, आलोक कुमार दुबे , प्रभारी उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाऐं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिताविभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जीवन आधार बहुउददे्शीयसहकारी समिति मर्यादित, लाँजी पंजीयन क्रमांक/ 748, दिनांक 13 जनवरी, 2011 विकासखंड लाँजी, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1032)

बालाघाट, दिनांक 23 अगस्त, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72(2) के अंतर्गत]

क्र./उ.प.बा./परि/2018/1033.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उ.प.बा./परि/2016/705 बालाघाट, दिनांक 16 मई, 2016 के द्वारा सांई कृपा महिला बहुउददे्शीय सहकारी समिति मर्यादित, चुरली पंजीयन क्रमांक 728, दिनांक 08 जनवरी, 2010 विकासखंड लाँजी, जिला बालाघाट जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापान में लाया जाकर धारा 70 के अतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी लाँजी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिससे साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बालाघाट के माध्यम से कराया गया.सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है. ऐसी स्थिति में सांई कृपा महिला बहुउददे्शीय सहकारी समिति मर्यादित, चुरली पंजीयन क्रमांक/ 728, दिनांक 08 जनवरी, 2010 विकासखंड लाँजी, जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि सांई कृपा महिला बहुउददे्शीय सहकारी समिति मर्यादित, चुरली पंजीयन क्रमांक/ 728, दिनांक 08 जनवरी, 2010 विकासखंड लाँजी, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है.

अत: मैं, आलोक कुमार दुबे , प्रभारी उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाऐं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिताविभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांई कृपा महिला बहुउददे्शीय सहकारी समिति मर्यादित, चुरली पंजीयन क्रमांक/ 728, दिनांक 08 जनवरी 2010 विकासखंड लाँजी, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1033)

बालाघाट, दिनांक 23 अगस्त, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72(2) के अंतर्गत]

क्र./उ.प.बा./परि/2018/1034.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उ.प.बा./परि/2016/972 बालाघाट, दिनांक 01 जुलाई, 2016 के द्वारा संयुक्त कृषि बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, लाँजी पंजीयन क्रमांक/ 729, दिनांक 08 जनवरी 2010 विकासखंड लाँजी, जिला बालाघाट जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापान में लाया जाकर धारा 70 के अतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी लाँजी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिससे साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बालाघाट के माध्यम से कराया गया.सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है. ऐसी स्थिति में जीवन आधार संयुक्त कृषि बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, लाँजी पंजीयन क्रमांक/ 729, दिनांक 08 जनवरी 2010 विकासखंड लाँजी, जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संयुक्त कृषि बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, लाँजी पंजीयन क्रमांक/ 729, दिनांक 08 जनवरी 2010 विकासखंड लाँजी, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है.

अत: मैं, आलोक कुमार दुबे , प्रभारी उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाऐं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिताविभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संयुक्त कृषि बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, लाँजी पंजीयन क्रमांक/ 729, दिनांक 08 जनवरी 2010 विकासखंड लाँजी, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1034)

बालाघाट, दिनांक 23 अगस्त, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72(2) के अंतर्गत]

क्र./उ.प.बा./परि/2018/1035.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उ.प.बा./परि/2000/1090 बालाघाट, दिनांक 11 जुलाई, 2016 के द्वारा हरियाली बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कडकना पंजीयन क्रमांक/ 769, दिनांक 17 फरवरी, 2012 विकासखंड किरनापुर, जिला बालाघाट जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापान में लाया जाकर धारा 70 के अतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी लाँजी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिससे साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बालाघाट के माध्यम से कराया गया.सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है. ऐसी स्थिति में हरियाली बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कडकना पंजीयन क्रमांक/ 769, दिनांक 17 फरवरी, 2012 विकासखंड किरनापुर, जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि हरियाली बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कडकना पंजीयन क्रमांक/ 769, दिनांक 17 फरवरी, 2012 विकासखंड किरनापुर, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है.

अत: मैं, आलोक कुमार दुबे , प्रभारी उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाऐं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिताविभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाली बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कडकना पंजीयन क्रमांक/ 769, दिनांक 17 फरवरी, 2012 विकासखंड किरनापुर, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1035)

बालाघाट, दिनांक 23 अगस्त, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72(2) के अंतर्गत]

क्र./उ.प.बा./परि/2018/1037.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उ.प.बा./परि/2015/35 बालाघाट, दिनांक 09 जनवरी 2015 के द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. ठेका सहकारी समिति मर्यादित, लाँजी पंजीयन क्रमांक/ 27, दिनांक 05 सितम्बर, 2009, जिला बालाघाट जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापान में लाया जाकर धारा 70 के अतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी लाँजी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिससे साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बालाघाट के माध्यम से कराया गया.सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है. ऐसी स्थिति में अ.जा./अ.ज.जा. ठेका सहकारी समिति मर्यादित, लाँजी पंजीयन क्रमांक/ 27, दिनांक 05 सितम्बर, 2009, जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अ.जा./अ.ज.जा. ठेका सहकारी समिति मर्यादित, लाँजी पंजीयन क्रमांक/ 27, दिनांक 05 सितम्बर, 2009, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है.

अत: मैं, आलोक कुमार दुबे , प्रभारी उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाऐं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिताविभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अ.जा./अ.ज.जा. ठेका सहकारी समिति मर्यादित, लाँजी पंजीयन क्रमांक/ 27, दिनांक 05 सितम्बर, 2009, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1036)

बालाघाट, दिनांक 23 अगस्त, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72(2) के अंतर्गत]

क्र./उ.प.बा./परि/2018/1038.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उ.प.बा./परि/2016/971 बालाघाट, दिनांक 01 जुलाई, 2016 के द्वारा उत्कृष्ट साख सहकारी समिति मर्यादित, लाँजी पंजीयन क्रमांक/ 770, दिनांक 17 फरवरी, 2012 विकासखंड लाँजी, जिला बालाघाट जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापान में लाया जाकर धारा 70 के अतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी लाँजी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिससे साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बालाघाट के माध्यम से कराया गया.सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है. ऐसी स्थिति में उत्कृष्ट साख सहकारी समिति मर्यादित, लाँजी पंजीयन क्रमांक/ 770, दिनांक 17 फरवरी, 2012 विकासखंड लाँजी, जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उत्कृष्ट साख सहकारी समिति मर्यादित, लाँजी पंजीयन क्रमांक/ 770, दिनांक 17 फरवरी, 2012 विकासखंड लाँजी, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है.

अतः मैं, आलोक कुमार दुबे , प्रभारी उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाऐं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिताविभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्कृष्ट साख सहकारी समिति मर्यादित, लाँजी पंजीयन क्रमांक/ 770, दिनांक 17 फरवरी, 2012 विकासखंड लाँजी, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

आलोक कुमार दुबे,
प्रभारी उप-रजिस्ट्रार.

(1037)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

बालाघाट, दिनांक 10 अगस्त, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियों अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/2337.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) (सी/ग) के अंतर्गत देवी आशापुरा फल-साग, सब्जी एवं विपरण सहकारी संस्था मर्यादित, जामगोद पंजीयन क्रमांक 775 दिनांक 09 नवम्बर 1994, को आदेश क्रमांक 1521 दिनांक 03 सितम्बर 2015, से परिसमापन में लाया जाकर श्री के.सी. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुर्नजीवित किया जाये. यह भी प्रस्ताव पारित किया है. कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं. आमसभा के परिप्रेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुर्नजीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापक के आवेदन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है. उक्त के प्रकाश में, यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुर्नजीवित किया जाये.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल , उप आयुक्त, सहकारीता जिला देवास , मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99/पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(4) के अंतर्गत देवी आशापुरा फल-साग, सब्जी एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, जामगोद का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूं एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्री के.सी.चौहान, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूं, एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण कराये एवं संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन संपन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करे.

यह आदेश आज दिनांक 18 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

मनोज जायसवाल,
उप पंजीयक.

(1038)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा)

राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018

संशोधित आदेश

क्र./परि./2018/2009.—पूर्व प्रसारित परिसमापन आदेशों में नीचे दी गयी सारणी अनुसार संशोधन करते हुए प्रबन्धक खादी एवं ग्रामोद्योग राजगढ़ को परिसमापक नियुक्त करता हूँ:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	दाल चावल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़	29/16-11-1959
2.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़	31/15-06-1958
3.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बखेड़	33/22-06-1962
4.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सरेड़ी	34/22-06-1962
5.	फूलखेड़ी चर्मकारों की सहकारी संस्था मर्या., फूलखेड़ी	36/24-02-1960
6.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., तूमड़ियाखेड़ी	75/05-07-1961
7.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., खुजनेर	80/17-10-1952
8.	तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., कालीपीपठ	82/03-02-1962
9.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., लटूरी	92/22-03-1962
10.	गुड़ खाण्डसारी उद्योग सहकारी संस्था मर्या. बखेड़	129/26-09-1964
11.	आदर्श गुड़ खाण्डसारी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., खुजनेर	144/24-07-1964
12.	चर्म उद्योग शवोच्छेदन सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़	519/24-05-1995
13.	अक्षत रूरल टेक्नौलॉजी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़	634/07-04-1998
14.	चर्म उद्योग शवोच्छेदन सहकारी संस्था मर्या., संवासड़ा	693/23-04-2001
15.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ब्यावरा	189/18-08-1964
16.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., गांगाहोनी (ब्यावरा)	524/21-07-1995
17.	तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बोड़ा	28/10-11-1959
18.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बोड़ा	38/18-04-1957
19.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., डोंगापुरा	78/17-10-1953
20.	तेल उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भैसाना	79/23-12-1961
21.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भैसाना	136/18-05-1956
22.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मानपुरा गुजराती	418/16-06-1956
23.	महिला खनिज उद्योग सहकारी संस्था मर्या., नरसिंहगढ़	598/18-04-1994
24.	बसोड़ान बाँस उद्योग सहकारी संस्था मर्या., नरसिंहगढ़	666/20-06-1958
25.	चर्मकार उद्योग सहकारी संस्था मर्या., नरसिंहगढ़	708/07-07-1958

1	2	3
26.	चर्मकार उद्योग सहकारी संस्था मर्या., नरसिंहगढ़	809/05-08-1959
27.	चर्मकार उद्योग सहकारी संस्था मर्या., उदनखेड़ी	71/25-05-1961
28.	तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सारंगपुर	001/04-11-1967
29.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., तलेन	200/26-06-1971
30.	कास्ट लोहा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सारंगपुर	298/30-10-1982
31.	फेबिना रेडीमेड वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सारंगपुर	328/19-09-1984
32.	मालवा रंगाई-छपाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सारंगपुर	398/25-04-1986
33.	इंदिरा गाँधी चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., पड़ाना	562/23-02-1996
34.	तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., तलेन	567/20-02-1956
35.	रेशम उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सारंगपुर	606/18-09-1996
36.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सारंगपुर	628/09-12-1997
37.	ईंट चूना उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सारंगपुर	676/11-08-1958
38.	जागृति देवी चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सारंगपुर	844/11-02-2003
39.	चर्म शोधक तथा चर्मकर्मी सहकारी संस्था मर्या., कुलीखेड़ा	120/05-11-1963
40.	चर्म शोधक तथा चर्मकर्मी सहकारी संस्था मर्या., देहरा	123/13-11-1963
41.	चर्म शोधक तथा चर्मकर्मी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., पीपल्याकला	126/24-11-1963
42.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., खिलचीपुर	158/16-06-1964
43.	तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., खिलचीपुर	605/28-06-1953
44.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोजपुर	613/13-02-1996
45.	चर्म उद्योग शवोच्छेदन सहकारी संस्था मर्या., खिलचीपुर	629/19-12-1997
46.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., माण्डाखेड़ा	671/22-06-1958
47.	तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., छापीहेड़ा	684/23-01-1959
48.	चर्मकार उद्योग सहकारी संस्था मर्या., लखोनी	122/13-11-1963
49.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., जीरापुर	136/18-05-1956
50.	महावीर तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., जीरापुर	160/13-05-1958
51.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., माचलपुर	326/20-07-1984
52.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., पीपल्या कुल्मी	600/30-11-1959
53.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मोतीपुरा	670/22-06-1958
54.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., गागोरनी	11871/17-06-1959

परिसमापक तीन माह की अवधि में परिसमापक संबंधी कार्यवाही पूर्ण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें.

(1039)

राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018

संशोधित आदेश

क्र./परि./2018/2011.—पूर्व प्रसारित परिसमापन आदेशों में नीचे दी गयी सारणी अनुसार संशोधन करते हुए श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	बहुउद्देशीय (बहुप्रयोजन) सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़	606/18-09-1996
2.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मवासा	730/19-02-2002
3.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., फून्दिया	731/19-02-2002
4.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रोज्या	755/28-03-2002
5.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बाड़गांव	839/23-12-2002
6.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कोलूखेड़ी	866/02-06-2003
7.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खजूरिया	825/07-09-2002
8.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मलावर	942/26-06-2004
9.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., श्यामपुरा	793/28-03-2002
10.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बड़बेली	809/25-06-2002
11.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गेहूँखेड़ी	810/25-06-2002
12.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., निपान्या तुला	743/19-02-2002
13.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पड़ाना	744/19-02-2002

परिसमापक तीन माह की अवधि में परिसमापक संबंधी कार्यवाही पूर्ण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें.

(1040)

राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018

संशोधित आदेश

क्र./परि./2018/2012.—पूर्व प्रसारित परिसमापन आदेशों में नीचे दी गयी सारणी अनुसार संशोधन करते हुए श्री आर. एस. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., निन्द्राखेड़ी	856/31-03-2003
2.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., हरिपुरा	817/29-07-2002
3.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सुवाहेड़ी	857/31-03-2003
4.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., छापीहेड़ा	859/31-03-2003
5.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रूपारेल	872/30-06-2003
6.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कंगनीखेड़ा	880/22-07-2003

1	2	3
7.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., चीबड़कला	926/08-04-2004
8.	बहुउद्देशीय (बहुप्रयोजन) सहकारी संस्था मर्या., खिलचीपुर	7735/08-05-1957
9.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., दोबड़ा	783/28-03-2002
10.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भण्डावद	868/28-06-2003
11.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खोखरिया	943/03-07-2004
12.	संयुक्त गन्ना उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सारंगपुर	147/04-01-1954
13.	सामुहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., सुन्दरपुरा	187/30-04-1970

परिसमापक तीन माह की अवधि में परिसमापक संबंधी कार्यवाही पूर्ण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें.

(1041)

राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018

संशोधित आदेश

क्र./परि./2018/2013.—पूर्व प्रसारित परिसमापन आदेशों में नीचे दी गयी सारणी अनुसार संशोधन करते हुए श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोड़िया जरगर	409/01-09-1987
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कीलखेड़ा	413/01-09-1987
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चाटूखेड़ा	418/09-10-1987
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बखेड़	419/09-10-1987
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करेड़ी	420/09-10-1987
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खुजनेर	423/09-10-1987
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुस्तानी	424/07-11-1987
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुंवासड़ा	433/04-10-1988
9.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लिम्बोदा	438/14-10-1988
10.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कालीपीठ	443/26-10-1998
11.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करनवास	462/09-11-1989
12.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिड़लावनिया	490/31-08-1991
13.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रसूलपुरा	505/28-09-1991

परिसमापक तीन माह की अवधि में परिसमापक संबंधी कार्यवाही पूर्ण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें.

(1042)

राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018

संशोधित आदेश

क्र./परि./2018/2014.—पूर्व प्रसारित परिसमापन आदेशों में नीचे दी गयी सारणी अनुसार संशोधन करते हुए श्री आर. व्ही. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सनखेड़ी	512/28-09-1991

1	2	3
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काचरी	526/18-10-1991
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पीपलखेड़ा	529/18-10-1991
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., फूलखेड़ी	531/24-10-1991
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चाटक्या	540/13-11-1991
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बांसखेड़ा	541/13-11-1991
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोतीपुरा	545/13-12-1991
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ओडपुर	554/26-03-1992
9.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाम्लाबे	440/04-10-1988
10.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गीलाखेड़ी	340/19-10-1984
11.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., माना	345/19-10-1984
12.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कांकरवाल	535/01-11-1991
13.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मिट्ठनपुर	553/26-03-1992

परिसमापक तीन माह की अवधि में परिसमापक संबंधी कार्यवाही पूर्ण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें.

(1043)

राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018

संशोधित आदेश

क्र./परि./2018/2015.—पूर्व प्रसारित परिसमापन आदेशों में नीचे दी गयी सारणी अनुसार संशोधन करते हुए श्री के. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भ्याना	402/23-10-1986
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पाटक्या	519/11-10-1991
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोपालपुरा	523/18-10-1991
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुलीखेड़ा	497/31-08-1991
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लखोनी	441/04-10-1988
6.	शासकीय कन्या प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., राजगढ़	121/05-11-1963
7.	कलेक्ट्रेट केन्टीन प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., राजगढ़	275/07-01-1957
8.	स्वामी विवेकानन्द प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., राजगढ़	547/16-12-1991
9.	पं. दीनदयाल प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., राजगढ़	548/16-12-1991
10.	डॉ. हेडगेवार प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., राजगढ़	558/25-04-1992
11.	माँ सन्तोषी प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., राजगढ़	939/14-06-2004
12.	माँ गायत्री प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., ब्यावरा	482/06-02-1991
13.	श्री राम प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., ब्यावरा	483/13-03-1991

परिसमापक तीन माह की अवधि में परिसमापक संबंधी कार्यवाही पूर्ण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें.

आर. एस. गौर,
उप पंजीयक.

(1044)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2018.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 सितम्बर, 2018-भाद्र 16 शके 1940

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 2018

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में प्राय: मौसम शुष्क रहा है. जिला शिवपुरी, अनूपपुर व राजगढ़ को छोड़कर शेष जिलों में वर्षा न होना प्रतिवेदित किया गया है.

(अ) 01 मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक:- तहसील-शिवपुरी (शिवपुरी), जैतहरी अनूपपुर, कौतमा (अनूपपुर), नरसिंहगढ़(राजगढ़), में उक्त मि.मी.के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

2. जुताई.- जिला छिंदवाड़ा में जुताई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

3. बोनी.- . .

4. फसल स्थिति- . .

5. कटाई.- जिला अनूपपुर मे फसल तुअर, चना आगर, बुरहानपुर व छिंदवाड़ा में गेंहूँ, चना जिला गुना सागर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उज्जैन, शाजापुर, इन्दौर, भोपाल, खरगौन, बैतूल, हरदा व सिवनी में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

6. सिंचाई.- जिला शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, शाजापुर, अलीराजपुर, बड़वानी, विदिशा, सीहोर, हरदा, बैतूल, जबलपुर, सिवनी बड़वानी, तहसील तामिया(छिंदवाडा) में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा राज्य के शेष जिलों में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

8. चारा.- राज्य के जिला शिवपुरी में पशुओं के लिये चारा अपर्याप्त मात्रा में एवं शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

9. बीज.- राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 2018

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) गेहूँ, सरसों, चना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. कैलारस	. .				
6. सबलगढ़	. .				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		राई-सरसों, अलसी,मसूर,	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .		मटर, समान.		
4. वीरपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. बडोदा	. .				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. गोरमी	. .				
8. मौ	. .				
9. रौन	. .				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, मटर-समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .				
4. चिनोर	. .				
5. घाटीगांव	. .				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) गन्ना, चना अधिक. सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		मटर, जौ कम. गेहूँ, मसूर,	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दरगढ़	. .		समान.		
4. बढौनी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. भाण्डेर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त	7. पर्याप्त
1. शिवपुरी	3.0		4. (1) चना, सरसों अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद चारा अपर्याप्त	8. पर्याप्त
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बैराढ़	. .				
9. बदरवास	. .				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	. .		4. (1) गेहूँ, मसूर अधिक. चना, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. नई सराय	. .				
6. पिपरई	. .				
7. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, धनियां, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. मकसूदनगढ़	. .				
7. कुम्भराज	. .				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) गेहूँ समान.		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. खरगापुर	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. लिधौरा	. .				
10. ओरछा	. .				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामल्हरा	. .				
8. महाराजपुर	. .				
9. चंदला	. .				
10. धुवारा	. .				
11. लवकुश नगर	. .				
12. बक्सवाहा	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	. .		4. (1) तुअर, अलसी, मटर अधिक. गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर, कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .				
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. रेपुरा	. .				
6. अमानगंज	. .				
7. देवेन्द्र नगर	. .				
8. सिमारिया	. .				
9. शाहनगर	. .				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना अधिक. मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी कम. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .				
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4.(1) चना, राई-सरसों अधिक. गेहूँ, अलसी कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .				
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक., मसूर, जौ कम. तुअर, राई-सरसों मटर, अलसी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .				
3. रामपुर-(बघेलान)	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. कोठर	. .				
10. बिरसिंहपुर	. .				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों, तुअर अधिक. गेहूँ, जौ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .				
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हुजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. मनगवां	. .				
8. सेमरिया	. .				
9. जवा	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुर(कर्चुलियान)	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों, मसूर, अलसी, जौ, समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .				
3. जैसिंहनगर	. .				
4. बुढ़ार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. गोहपारू	. .				
6. जैतपुर	. .				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. फसल तुअर, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	1.8		4. (1) राई-सरसों, चना कम. तुअर, अलसी, मसूर, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	0.1				
3. कोतमा	2.8		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. पुष्पराजगढ़	. .				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) तुअर, चना, गेहूँ कम. राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .				
3. चंदिया	. .				
4. नौरोजाबाद	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. मानपुर	. .				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .		4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .				
3. मझौली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. बहरी	. .				
7. रामपुरनैकिन	. .				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) तुअर, चना, जौ अधिक. गेहूँ कम. सरसों समान. गेहूँ सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .				
3. सरई	. .				
4. माडा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) चना सुधरी हुई गेहूँ बिगड़ी हुई		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. दलोदा	. .				
9. धुंधड़क्का	. .				
10. संजीत	. .				
11. कयामपुर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4.(1) गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगौली	. .				
4. जीरन	. .				
5. रामपुर	. .				
6. मनासा	. .				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4.(1) चना अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. ताल	. .				
6. रावटी	. .				
7. पिपलोदा	. .				
8. रतलाम	. .				
24.जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. फसल कटाई का	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .	कार्य चालू है.	4. (1) चना, मसूर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		गेहूँ कम.	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
25.जिला आगर :	मिलीमीटर	2. फसलें गेहूँ व चना की	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	. .	कटाई का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) गेहूँ, चना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. फसल कटाई का	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ोदिया	. .	कार्य चालू है.	4.(1)चना-अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) गेहूँ, चना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. पोलाय कलां	. .				
6. अबंतीपुर बडौदिया	. .				
7. गुलाना	. .				
27. *जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोनकच्छ	. .		4.(1) . .	6. . .	8. . .
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .	. .	
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	. .				
6. हाटपिपल्या	. .				
7. सतवास	. .				
8. उदयनगर	. .				
9. खातेगांव	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) कपास, तुअर, गेहूँ अधिक. चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) चना, मक्का, अधिक. गेहूँ, कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. चन्द्रशेखर आ. नगर	. .				
6. उदयगढ़	. .				
7. भामरा	. .				
30.जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) चना, अधिक. गेहूँ ,गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) . .		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1)गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर, अलसी सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. हातोद	. .				
5. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	. .				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1)चना, अधिक. तुअर, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	. .				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. अंजड	. .				
8. बरला	. .				
9. निवाली	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) मूँग अधिक. मक्का कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	. .		(2) मक्का, मूँग समान.	चारा पर्याप्त.	
3. खालवा	. .				
4. पंधाना	. .				
5. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. फसल गेहूँ, चना की कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4.(1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) गेहूँ, चना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खिलचीपुर	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	0.3				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) चना सुधरी हुई. गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. समसाबाद	. .				
9. त्योंदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. फसल की कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7.पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) चना, मसूर, मटर अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8.पर्याप्त.
2. बैरागड़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. हुजूर	. .				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		4. (1) गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. इच्छावर	. .				
4. नसरूल्लागंज	. .				
5. रेहटी	. .				
6. श्यामपुर	. .				
7. जावर	. .				
8. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाख, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .				
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .		(2) . .		
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	. .				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7 पर्याप्त.
1. बैतूल	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. गेहूँ, चना सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	. .				
3. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) . .		
4. शाहपुर	. .				
5. चिचोली	. .				
6. मुल्ताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42.*जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. होशंगाबाद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सिवनी मालवा	. .				
3. बावई	. .		(2) . .		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढ़ी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) चना अधिक, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सिराली	. .				
4. रेहटगांव	. .				
5. हंडिया	. .				
6. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	. .		4. (1) गेहूँ चना, मटर अधिक. मसूर, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	. .				
3. सीहोरा	. .		(2) गेहूँ, सुधरी हुई. शेष उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
4. पाटन	. .				
5. मझौली	. .				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .				
3. रीठी	. .		(2) गेहूँ समान.		
4. बड़वारा	. .				
5. मुड़वारा (कटनी)	. .				
6. विजयराघवगढ़	. .				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	. .		4.(1) मटर, चना अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गोटेगांव	. .		(2) . .		
3. करेली	. .				
4. गाडरवारा	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मण्डला	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नैनपुर	. .		(2)उपरोक्त फसलें समान.		
3. बिछिया	. .				
4. निवास	. .				
5. नारायणगंज	. .				
6. घुघरी	. .				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4.(1) तुअर, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) . .		
3. बजाग	. .				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. फसल गेहूँ, चना एवं अन्य फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. शेष में पर्याप्त तहसील तामिया में पानी अप्राप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	. .		4. (1) गेहूँ कम. चना अधिक.		8. पर्याप्त.
2. तामिया	. .		(2) . .		
3. परासिया	. .				
4. जुन्नारदेव (जामई)	. .			6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	
5. सांसर	. .				
.6. बिछुआ	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. उमरेठ	. .				
10. मोहखेड	. .				
11. हर्रई	. .				
12. चांद	. .				
13. पांढुर्णा	. .				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अधिक. मूँग, लाख कम. मटर, मसूर, उड़द समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बरघाट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. कुरई	. .				
4. केवलारी	. .				
5. लखनादोन	. .				
6. छपारा	. .				
7. घनोरा	. .				
8. घंसोर	. .				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4.(1) धान समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) धान समान.		
3. किरनापुर	. .				
4. बैहर	. .				
5. वारासिवनी	. .				
6. कटंगी	. .				
7. लालबर्रा	. .				
8. तिरोडी	. .				
9. परसवाड़ा	. .				
10. बिरसा	. .				
11. खैरलांजी	. .				

टीप:- जिला देवास व होशंगाबाद से पत्रक अप्राप्त.

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(1021)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2018.